क्रम-संख्या–183(क–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 16 अक्टूबर, 2024

आश्विन 24, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–9

संख्या 1685/नौ–9-2024-ई-1645596

लखनऊ, 16 अक्टूबर, 2024

अधिसूचना

प0आ0–268

भारत के 13वें वित्त आयोग द्वारा दी गयी संस्तुतियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की स्थापना और उसके निगमन की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश की अधिसूचना सं0- 346/79-वि0-1-11-1(क)/14-2011, दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 बनाया गया और उसकी धारा-4 की उपधारा (1) के अधीन तदनुसार अधिसूचना सं0- 649/नौ-9-2011, दिनांक 30 मार्च, 2011 जारी की गयी। अधिसूचना सं0- 983/नौ-9-2016-80-ज/2011, दिनांक 17 अगस्त, 2016 द्वारा अधिनियम की धारा-36 के अधीन उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों को निष्पादन) नियमावली, 2016 बनायी गयी।

2- उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा 10 के खण्ड (झ) और उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली, 2016 के नियम 19 में उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड की वार्षिक कार्य-योजना तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत करने और सरकारी गजट में प्रकाशित करने के प्राविधानों के अधीन बोर्ड की वर्ष 2024-25 कार्य-योजना निम्नवत् है :-

(1) नगर पालिकाओं की वित्तीय क्षमता की समीक्षा और कार्य क्षमता का निर्धारण- प्रदेश की चिह्नांकित नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों और नगर निगमों की वित्तीय क्षमता की समीक्षा करने और राजस्व के विभिन्न संसाधनों की कार्य क्षमता के निर्धारण की दृष्टि से गत वित्तीय वर्ष में आंकलनगत नगरीय निकायों की कर एवं करेतर मदों से प्राप्त उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। आंकलन हेतु इन नगरीय निकायों में 05 नगर निगम, 20 नगर पालिका परिषदों और 50 नगर पंचायतें होंगी जिनका चयन उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा किया जाएगा। एतद् सम्बन्धी समीक्षात्मक टिप्पणी सम्बन्धित निकायों, स्थानीय निकाय निदेशालय और नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी और इन नगरीय निकायों के वित्तीय संसाधनों, कराच्छादन की स्थिति, कर एवं करेतर देयों की वसूली आदि का अनुश्रवण किया जाएगा।

(2) नगर पालिकाओं की सम्पत्तियों को प्रगणित कराना और डाटा बेस तैयार करना- राज्य में नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की स्वामित्व वाली सम्पत्तियों, प्रबन्धनगत सम्पत्तियों और निहित सम्पत्तियों का डिजिटाईजेशन कराने हेतु निकायों से उनकी निजी सम्पत्तियों की सूचना मंगाई जायेगी। सूचना प्राप्त कर डाटा बेस तैयार करने की कार्यवाही की जाएगी।

(3) राजस्व संसाधन प्रणाली की समीक्षा और दरों हेतु उपयुक्त आधार सुझाना- नगरीय निकायों में अधिरोपित सम्पत्ति कर (गृह कर, जल कर, जल निकास कर), अन्य कर एवं करेतर राजस्व संसाधन प्रणाली की समीक्षा करने और शत प्रतिशत कराच्छादन की दृष्टि से समस्त श्रेणी की सम्पत्तियों का चिन्हांकन, मूल्यांकन, कर निर्धारण करने, केन्द्र सरकार के भवनों पर सेवा प्रभार की देयता के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही करने एवं करेतर मदों और कर की दरों हेतु उपयुक्त आधार से नगरीय निकायों को अवगत कराने की दृष्टि से नगरीय निकायों के अधिकारियों, विशेषकर राजस्व से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट 25 जनपदों में कार्यशालायें और बैठकें आयोजित की जाएगी। इन कार्यशालाओं और बैठकों में निकाय क्षेत्र में अवस्थित विभिन्न श्रेणी की शत प्रतिशत सम्पत्तियों को कराच्छादित करने की दृष्टि से भौगोलिक सूचना प्रणाली के समुचित उपयोग करने, वार्षिक मूल्य की गणना हेतु पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा मासिक किराया दर का निर्धारण करने, स्व कर निर्धारण प्रणाली को लोकप्रिय बनाने, प्रयोक्ता प्रभार, लाइसेन्स शुल्क एवं अन्य करेतर देयों की वसूली की प्रभावी प्रक्रिया अपनाने के संबंध में जानकारी देने, तद्विषयक विचार विनिमय करने और एतद्सम्बन्धी जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(4) सम्पत्तियों के मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया का सूत्रपात करना- कराधिरोपण के दृष्टिगत वार्षिक मूल्य की गणना हेतु सम्पत्तियों के मूल्यांकन और उनके सत्यापन के लिए निरीक्षण की पारदर्शी प्रक्रिया, अभिकल्पित और निरूपित करने के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यशालाओं और बैठकों में पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

(5) सेवा प्रभार की वसूली और ऑकड़ों की समीक्षा- विभिन्न नगर निकायों के अन्तर्गत आने वाली केन्द्र सरकार के भवनों से सर्विस चार्ज लिए जाने सम्बन्धी आकड़ों का संग्रह कर प्रथमतया नगर निगमों द्वारा की गई कार्यवाही और तत्सम्बन्धी आकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा।

(6) निकाय क्षेत्र की समस्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन- उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में कतिपय प्रकार की सम्पत्तियों को सामान्य कर (गृह कर) के अधिरोपण से मुक्त रखा गया है तो कुछ प्रकार की सम्पत्तियों पर जल कर लगाने पर प्रतिबन्ध है। केन्द्रीय सरकार के भवनों पर कर न लगाने का प्रावधान है जबकि इन पर सेवा प्रभार लिए जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार नगरीय निकायों द्वारा अपनी सम्पत्तियों का मूल्यांकन नहीं किया जाता। इन सभी प्रकार की सम्पत्तियों का मूल्यांकन अपेक्षित है। जिस सम्पत्ति पर जिस प्रकार के कर की देनदारी से छूट है, उन्हें तदनुसार उस कर की छूट दे दी जाएगी और उन पर जो अन्य प्रकार के कर देय है, बिना वार्षिक मूल्यांकन के गणना किए सम्भव न हो सकेगा। अतः यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में अवस्थित सभी प्रकार की सम्पत्तियों का वार्षिक मूल्यांकन कर उसे निर्धारण सूची में अंकित किया जाय। नगरीय निकायों को इस संबंध में अवगत कराया जाएगा कि उनमें से यथा प्रावधानित सम्पत्तियों को देय छूट प्रदान की जाय, स्थानीय निकायों की सम्पत्तियों पर यथा प्रावधानित कर या करेतर देय यथा स्थिति समायोजित या वसूल की जाय, केन्द्र सरकार की सम्पत्तियों पर नियमानुसार सेवा प्रभार अधिरोपित/वसूल किया जाय और राज्य सरकार के भवनों पर यथा प्रावधान कर अधिरोपित कर वसूली की जाय।

(7) करों/देयों के नियत कालिक पुनरीक्षण की रूप रेखा- सम्पत्ति कर के नियतकालिक पुनरीक्षण के लिए अधिनियम में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत मासिक किराया दर का निर्धारण और सम्पत्तियों का चिन्हांकन और मूल्यांकन के उपयुक्त तौर-तरीके, प्रयोक्ता प्रभारों, शुल्कों का अधिरोपण, देयों की संग्रह प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संस्तुतियाँ देने के दृष्टिकोण से देश के विभिन्न राज्यों का भ्रमण कर वहाँ की नगरीय निकायों का अध्ययन किया जाएगा और तदनुसार संस्तुतियाँ प्रस्तुत की जाएँगी। यह कार्यवाही बोर्ड में स्थायी रूप से अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के उपरान्त की जा सकेगी।

(8) नव गठित नगर पंचायतों के कर्मियों का प्रशिक्षण- नव गठित नगर पंचायतों में पदस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को निकायों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों, राजस्व स्रोतों, निकाय में निहित सम्पत्तियों के रख-रखाव, कराच्छादन की प्रक्रिया और प्रयोक्ता प्रभारों और अन्य करेतर देयों के अधिरोपण, अभिलेखीकरण और आँकड़ों का कम्प्यूटरीकरण आदि के संबंध में विशेष रूप से प्रशिक्षित और जागरूक करने की कार्यवाही नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।

(9) सम्पत्ति कर विवादों को न्याय निर्णीत करना- नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर विवादों को न्याय निर्णीत करने की प्रक्रिया और विनियमन हेतु उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड विनियम का आलेख्य राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(10) मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रकटीकरण- नगरीय निकाय सीमा में अवस्थित सम्पत्तियों के मूल्यांकन, वार्षिक मूल्य की गणना और कर निर्धारण में पारदर्शिता लाने के दृष्टिकोण से स्व कर निर्धारण प्रणाली लागू करते हुए उसकी गणना प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। इससे करदाता सम्पत्ति कर की स्वयं गणना कर जमा करने की सुविधा प्राप्त है। कराच्छादित समस्त सम्पत्तियों के मूल्यांकन और कर निर्धारण से सम्बन्धित गणना और ऑकड़ें नगर निगमों और बड़ी नगर पालिका परिषदों में आनलाइन उपलब्ध हैं। ये व्यवस्था छोटी निकायों में भी लागू करने की कार्यवाही की जाएगी।

(11) **सम्पत्तियों के मूल्यांकन और राजस्व वृद्धि के लिए परामर्श-** राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा करने अथवा संकल्प के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों का अनुरोध प्राप्त होने पर कर और करेतर मदों सहित विभिन्न वित्तीय संसाधनों, कराधिरोपण हेतु सम्पत्तियों के चिन्हांकन, मूल्यांकन, कर निर्धारण, मासिक किराया दर का निर्धारण, अधिनियम और नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अपेक्षित कार्यवाही, स्व कर निर्धारण प्रणाली के क्रियान्वयन, उपविधियों के गठन आदि विभिन्न विषयों परामर्श और अभिमत उपलब्ध कराया जाएगा।

(12) विशेषज्ञों और संस्थाओं की सेवाएँ प्राप्त करना- नगरीय निकायों में स्वयं के राजस्व के स्रोत, वित्तीय सुदृढ़ीकरण, लेखाप्रणाली सुदृढ़ीकरण एवं संसाधनों के विकास का सक्षम स्तर से सतत अनुश्रवण और प्रभावी पर्यवेक्षण की व्यवस्था, वित्तीय अनुशासन की स्थापना और क्षमता संवर्धन हेतु आवश्यक अध्ययन के लिए विशेषज्ञों तथा सम्बन्धित संस्थाओं की यथा आवश्यकता सेवायें प्राप्त की जा सकेंगी।

(13) विनिर्दिष्ट निकायों में सामान्य मूल्यांकन- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नगरीय स्थानीय निकायों में भवन, भूमि या दोनों के कर निर्धारण हेतु उनका चिन्हांकन, मूल्यांकन और वार्षिक मूल्य की गणना सुनिश्चित की जाएगी।

14) वित्तीय संसाधनों और व्यय नियन्त्रण पर प्रशिक्षण- नगरीय निकाय निदेशालय तथा नगरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के साथ संयुक्त रूप से प्रदेश की नगरीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों और अधिकारियों को आधारभूत और अभिमुखीकरण प्रशिक्षण, वित्तीय संसाधनों, कराच्छादन, करेतर मदों, व्ययों पर नियंत्रण और सम्बन्धित अन्य विषयों के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान कर उनको दक्ष किया जायेगा।

(15) अन्य कृत्यों का निष्पादन- अन्य ऐसे कृत्यों का निष्पादन किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 अथवा तद्धीन बनाई गई उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली में प्रावधानित हैं।

(16) अभिमत और टिप्पणी का प्रस्तुत किया जाना- उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 या तद्धीन बनाई गई उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड (प्रक्रिया का विनियमन एवं इसके कृत्यों का निष्पादन) नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अधीन ऐसे संगत विषयों और बिन्दुओं पर परामर्श, अभिमत, टिप्पणी या परामर्श प्रस्तुत किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाय अथवा प्रदेश के किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा संकल्प के माध्यम से अनुरोध किया जाय।

आज्ञा से,
अरूण प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 299 राजपत्र–2024–(759)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 5 सा0 नगर विकास–2024–(760)–100 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

299 RPH 2024 (Nagar Vikas Anubhag-9) data 4e